बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–04 / अ0प्र0–01–31 / 2023 4559 दिनांक–14/8/23

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता /
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषयः–बिहार राज्य अभियंत्रण सेवा / बिहार राज्य अवर अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों / कनीय अभियंताओं के द्वारा राज्य से बाहर / राज्य के अन्दर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों यथा कार्य अंचल / अग्रिम योजना अंचल / कार्य प्रमंडल / अग्रिम योजना प्रमंडल / क्षेत्रीय प्रयोगशाला तथा SQC कार्यालय में कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों के द्वारा राज्य से बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव विभाग को भेजते समय विधिवत जाँच नहीं की जाती है और प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।

राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार उपचार नियमावली प्रवृत्त है तथा समय–समय पर संकल्प / परिपत्र आदि निर्गत है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है, परन्तु अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि अभिलेखों की जाँच के बिना ही प्रस्ताव भेज दिया जाता है और जाँच के क्रम में त्रुटियां परिलक्षित होती है, जिनका निराकरण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

यह भी पाया जा रहा है कि राज्य से बाहर चिकित्सा कराने हेतु संबंधित अधिकृत संस्थान से अनुशंसा कराये बिना ही चिकित्सा करा ली जाती है और बाध्यकारी परिस्थिति का हवाला देते हुये घटनोत्तर स्वीकृति की अपेक्षा विभाग से की जाती है जो सही नहीं है।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों / पदाधिकारियों की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजते समय निम्नांकित अभिलेखों की जाँच किया जाना सुनिश्चित किया जाये–

1. चिकित्सा पूर्जा मूलरूप में हो।
2. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 1070 (14) दिनांक–20.05.2006 की कंडिका 3 (iv) के आलोक में विहित चिकित्सा संस्थान से राज्य से बाहर चिकित्सा कराये जाने हेतु रेफर किये जाने की अनुशंसा का प्रमाण–पत्र मूलरूप में।
3. डिस्चार्ज समरी मूलरूप में।

P.T.O

4. स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 997 (14) दिनांक 28.08.2015 एवं 647 (14) दिनांक–26.03.2012 के आलोक में विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरा हुआ हो एवं मुहरांकित हस्ताक्षरित हो।
5. चिकित्सा संस्थान के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिश्रव मूलरूप में हो।
6. आश्रित होने की स्थिति में घोषणा–पत्र (Declartion) मूलरूप में हो।
7. किसी बीमा संस्थान से प्रतिपूर्ति नहीं कराने संबंधी घोषणा–पत्र मूल रूप में हो।
8. राज्य से बाहर चिकित्सा कराने की पूर्वानुमति से संबंधित पत्र मूलरूप में हो।
9. बाध्यकारी परिस्थिति में यदि घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव हो तो उसके कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
10. स्वास्थ्य विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों/संकल्पों तथा प्रवृत्त नियमावली के आलोक में भी जाँच किया जाना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त अभिलेखों के जाँचोपरान्त तद्नुरूप अनुशंसा सहित भेजे गये प्रस्तावों पर ही विभाग द्वारा विचार किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख
दिनांक– 14/8/23

ज्ञापांक:–04/अ0प्र0–01–31/2023 4559

प्रतिलिपि:–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/23
अभियंता प्रमुख

गीय बेवसाईट